(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **अब्दुल कयूम शेरानी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 415/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-01-2023	अपीलार्थी अब्दुल कयूम शेरानी, निवासी 37, सकीना कॉलानी, गीता भवन के पीछे, सिंवांचीगेट जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.10.2022 में (1) दिनांक 01.01.2022 से आज दिन तक जोधपुर के मुसलमानों के वक्फ कार्यालय जोधपुर/जयपुर/बोर्ड संबंधी कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री जी प्रकोष्ठ जोधपुर कार्यालय से वक्फ बोर्ड को जारी किये गये पत्रों की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 2462 दिनांक 20.12.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपर जिला कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा से प्रापत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 2196 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा 13 पृष्ठों की सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि , लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	